अंक 32 । संख्या 2 । फरवरी 2025

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूज़लेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

विचार-विमर्श
जोखिम भरे अपशिष्ट की हाथ से सफाई करने वालो के अधिकार एवं गरिमा

लेख
कानून से कार्यवाही तकः जोखिम भरे अपशिष्ट को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास

रिपोर्ट
एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष का 13वें थिंकएडू कान्कलेव में वक्तव्य

मानव अधिकार
न्यूज़लेटर

अंक 32 । संख्या 2 । फरवरी 2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

6 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की डेस्क से

विचार-विमर्श

4 जोखिम भरे अपशिष्ट की हाथ से सफाई करने वालो के अधिकार एवं गरिमा

रिपोर्ट्स

6 एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन द्वारा चेन्नई में 13वें थिंकाएड्डू कॉन्क्लेव 2025 में भारत की वैश्विक मानव अधिकार स्थिति पर वक्तव्य

लेख

7 कानून से कार्यवाही तक: जोखिम भरे अपशिष्ट को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

9 स्वत: संज्ञान

10 राहत के लिए संस्तुतियां

10 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

11 केस स्टडीज

क्षेत्रीय दौरे

12 एनएचआरसी, भारत के सदस्यों का दौरा

13 विशेष प्रतिवेदक और मॉनिटर

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

14 एनएचआरसी शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल विश्व महिला दावोस एजेंडा 2025, में सहभागिता देते हुए

15 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप शुरू

16 कार्यशालाएं

17 ज्ञानार्जन दौरे

17 मूट कोर्ट

एनएचआरसी इंडियाज़ इक्वलिटी मूनशॉट एट दावोस

18 एनएचआरसी, भारत के महासचिव द्वारा महिला सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्थाओं का परिवर्तन विषय पर भारतीय दृष्टिकोण

20 राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

23 पीड़ितों की आवाज़

24 संक्षेप में समाचार

27 आगामी कार्यक्रम

27 जनवरी 2025 में शिकायतें

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 13वें थिंकएड्डू कान्कलेव 2025, में सम्बोधन देते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनीटर श्री बालकृष्ण गोयल महाराष्ट्र के अस्पताल का दौरा करते हुए

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC

RNI No. 59340/94

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

स्वच्छता कर्मचारी स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश और पर्यावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, मशीनीकरण के माध्यम से उन्हें सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के कई प्रयासों के बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीवरों और हानिकारक अपशिष्टों की मैन्युअल सफाई का पूर्ण उन्मूलन, साथ ही इस जोखिमभरे कार्य में लगे लोगों का उचित पुनर्वास, एक अधूरा लक्ष्य बना हुआ है। जैसा कि कहा गया है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और एनएचआरसी, भारत, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नागरिक समाज, मीडिया और अन्य संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के अथक प्रयास मान्यता के हकदार हैं। प्रगति अपेक्षा के अनुरूप उतनी तेज नहीं हो सकती, लेकिन उनका योगदान अमूल्य है।

एनएचआरसी कानूनों, नीतियों और उनके कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तथा सरकार और संबंधित एजेंसियों को व्यावहारिक समाधान सुझा रहा है, ताकि सफाई कार्य में शामिल लोगों के मानव अधिकारों को बेहतर बनाया जा सके। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, जनवरी, 2025 के महीने में आयोग ने सफाई कर्मचारियों द्वारा सीवर मैनहोल और सेप्टिक टैंक में सफाई के लिए प्रवेश करने के जोखिमभरे अभ्यास पर एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की। इस चर्चा में उनकी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया और कार्रवाई योग्य समाधानों की खोज की गई। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, मानव अधिकारों संरक्षकों, सरकारी अधिकारियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और निजी क्षेत्र सहित हितधारकों के एक विविध समूह ने भाग लिया। चर्चा में उन असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया, जिनका सामना कई सफाई कर्मचारी अभी भी कर रहे हैं और मैनुअल हस्तक्षेप और संबंधित जोखिमों को खत्म करने के लिए मशीनीकरण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। मैनुअल श्रम को बदलने और सुरक्षित, अधिक सम्मानजनक सफाई प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभिनव समाधान प्रदर्शित किए गए। इस परामर्श पर एक विस्तृत रिपोर्ट इस समाचार पत्र में शामिल है।

इस दिशा में 29 जनवरी 2025 को डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य की रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला एक मील का पत्थर था। इस फैसले ने छह महानगरों: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में हाथ से मैला ढोने और सीवर की सफाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। न्यूज़लैटर के इस संस्करण में एक समर्पित लेख है, 'कानून से लेकर कार्रवाई तक: भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए एक सतत संघर्ष', जो इस कुकृत्य को खत्म करने के लिए देश भर में किए गए विभिन्न प्रयासों से अवगत कराता है।

22 जनवरी 2025 को दावोस में वर्ल्ड वूमन फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'इंडियाज इक्वलिटी मूनशॉट' में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आयोग और देश का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान भी मिला। सत्र में भारत के साहसिक और समावेशी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य मुख्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके जीवन को बदलना है। आयोग ने भविष्य के अनुकूल, जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे, कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण और देश भर में डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से अवसरों के सृजन पर जोर दिया। चर्चा में पारदर्शी और जवाबदेह शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, महिलाओं को सक्षम वातावरण के साथ सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं वास्तव में बाधाओं को समाप्त कर समानता पा सके, आदि बातों पर भी प्रकाश डाला गया। इस बात की पुष्टि की गई कि भारतीय संविधान और उसके मूल्य समानता के मूल सिद्धांत को बनाए रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि देश के संविधान को अपनाने के बाद से महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। प्रगतिशील नीतियों ने महिलाओं को भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास और तीव्र आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित किया है।

भारत में महिलाएँ न केवल राष्ट्रीय विकास में भागीदार हैं, बल्कि वे देश के भविष्य को स्वरुप देने में भी समान भागीदार हैं। वसुधैव कुटुम्बकम' (विश्व एक परिवार है) के नारे के साथ, भारत समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ावा देने तथा हर स्तर पर मानव अधिकारों और समावेशिता का समर्थन करने के लिए दुनिया भर के देशों के साथ सहयोग करना जारी रखता है।

जनवरी के महीने में आयोग में चार सप्ताह के ऑन-साइट शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का समापन भी हुआ। 18 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 61 छात्रों द्वारा इंटर्नशिप पूरी करना सराहनीय था, जिसने उन्हें मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर 50 से अधिक व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से प्रख्यात विद्वानों, मानव अधिकार संरक्षकों और डोमेन विशेषज्ञों से जुड़ने का मंच प्रदान किया। उन्होंने पुस्तक समीक्षा, आश्रय गृहों, पुलिस स्टेशनों, जेलों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के क्षेत्रीय दौरे, साथ ही समूह असाइनमेंट में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने अपनी ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप भी शुरू की, जिसे देश के दूरदराज के क्षेत्रों में युवा छात्रों को मानव अधिकार सं रक्षकों के रूप में दिल्ली में रहने और खाने-पीने के लिए शून्य लागत पर मानव अधिकार शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

न्यूजलैटर के इस संस्करण में आपको एनएचआरसी, भारत के सदस्यों के दौरों के साथ-साथ जनवरी 2025 के महीने में आयोग द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्यक्रमों और गतिविधियों की रिपोर्ट भी दी गई है। हमें आशा है कि आपको यह पढ़ने में ज्ञानवर्धक और रूचिकर लगेगा।

[भरत लाल]
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी, एनएचआरसी, भारत

जोखिम भरे अपशिष्ट की हाथ से सफाई करने वालो के अधिकार एवं गरिमा

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन बैठक की अध्यक्षता करते हुए

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर कई कोर ग्रुप गठित किए हैं, ताकि संबंधित मंत्रालयों के डोमेन विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की जा सके। इन कोर ग्रुप मीटिंग के अलावा, आयोग विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर विविध हितधारकों के साथ ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित करता है। 3 जनवरी, 2025 को आयोग ने नई दिल्ली में अपने परिसर में हाइब्रिड मोड में 'व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता - हाथ से मैला ढ़ोने वालों के अधिकार' पर केन्द्रित एक ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया।

अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने सदस्यों श्रीमती विजया भारती सयानी और न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी, महासचिव श्री भरत लाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सत्र की अध्यक्षता की। उपस्थित लोगों में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, मानव अधिकार संरक्षकों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी संगठनों और शोध विद्वानों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने हाथ से मैला ढ़ोने वालों के अधिकारों और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा में योगदान दिया।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि हाथ से मैला ढ़ोने के कार्य को समाप्त करने के लिए विधायी रूप से प्रयास किया जा रहा है, कार्यकारी रूप से प्रबंधित किया जा रहा है, और न्यायिक रूप से निगरानी की जा रही है। हालांकि, सीवेज और जोखिम भरे कचरे की हाथ से मैला ढ़ोने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनी प्रावधानों के बावजूद, सफाई कर्मचारियों की मौतें अभी भी हो रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि प्रभावी उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा के मूल कारणों का अध्ययन करना और समझना आवश्यक है। उन्होंने एक राज्य में परीक्षण के तौर पर रोबोटिक सफाई जैसे तकनीकी नवाचारों को शुरू करने के महत्व पर भी जोर दिया, ताकि इसे पूरे देश में लागू किया जा सके।

चर्चा का एजेंडा तय करते हुए, भारत के एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा

▶ बैठक का एक दृश्य

महासचिव श्री भरतलाल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

कि आयोग ने डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार मशीनीकृत सफाई प्रक्रियाओं को लागू करने और उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की है। यह सामने आया है कि विभिन्न राज्यों ने उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए तीन साल तक के कार्यक्रम तैयार किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ जातियाँ और समुदाय हाथ से मैला ढ़ोने से असमान रूप से प्रभावित हैं, जिसके लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

इससे पहले, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव, श्री देवेन्द्र कुमार निम ने तीन तकनीकी सत्रों - 'भारत में सेप्टिक और वेअर टैंकों में होने वाली मौतों के मुद्दे पर ध्यान देना', 'हाथ से मैला ढ़ोने पर पूर्ण प्रतिबंध की आवश्यकता' और 'हाथ से मैला ढ़ोने वाले के लिए पुनर्वास उपाय: सम्मान और सशक्तीकरण की दिशा में आगे की राह और भविष्य की योज़नाएं' का संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने कहा कि हाथ से मैला ढ़ोना सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियों में से एक है, जिसे समाप्त करने के लिए सामूहिक और ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

चर्चा में कई प्रतिष्ठित वक्ताओं में, श्री प्रभात कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, श्री बेजवाड़ा विल्सन, राष्ट्रीय संयोजक, सफाई कर्मचारी आंदोलन, नई दिल्ली, श्री सुजॉय मजूमदार, वरिष्ठ वाश विशेषज्ञ, यूनिसेफ इंडिया, श्री यूसुफ कबीर, जल स्वच्छता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ, यूनिसेफ, भारत, रोहित कक्कड़, सीपीएचईईओ, श्री राशिद करिंबनक्कल, निदेशक, जेनरोबोटिक्स इनोवेशन, केरल, बैशाली लाहिड़ी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, डॉ विनोद कुमार, विधि और निदेशक, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सबाल्टर्न स्टडीज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मंजुला प्रदीप, वेव फाउंडेशन, सुश्री राज कुमारी, सोलिनास इंटीग्रिटी प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु, प्रो. शीवा दुबे, फ्लेम यूनिवर्सिटी, पुणे, श्री एम. कृष्णा, प्रबंध निदेशक, काम-एविडा एनवायरो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुश्री स्मृति पांडे, सलाहकार, नीति आयोग शामिल थे। विचार-विमर्श से निम्नलिखित प्रमुख संस्तुतियां सामने आईं;

प्रतिभागियों का एक समूह

i. प्रभावी कल्याण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी और प्रतिनिधित्व को मजबूत करना;

ii. पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने और उचित मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करना;

iii. 2013 अधिनियम के तहत सफाई कर्मचारियों और हाथ से मैला ढ़ोने वाले के बीच अंतर को स्पष्ट करना;

iv. सफाई प्रक्रियाओं के मशीनीकरण को प्रोत्साहित करना और प्रशिक्षण प्रदान करना, विशेष रूप से स्थायी आजीविका के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाना;

v. हाथ से मैला ढ़ोने और सीवर मौतों से संबंधित आंकड़ों में पारदर्शिता बढ़ाना, बजट आवंटन, और एसबीएम और नमस्ते योजनाओं के तहत जागरूकता अभियान;

vi. हाथ से मैला ढ़ोने और सीवर सफाई में शामिल श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना;

vii. जोखिमभरे अपशिष्ट की सफाई में तकनीकी नवाचारों के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करना;

viii. डीस्लजिंग बाजार परिचालन को विनियमित एवं औपचारिक बनाना;

ix. सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना; तथा

x. हाथ से मैला ढ़ोने वाले की पहचान करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करना तथा स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी लाभों के लिए एक डाटाबेस तैयार करना।

xi. आयोग कानूनी और नीतिगत प्रावधानों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, मौजूदा अंतराल को पाटने और प्रभावित व्यक्तियों के प्रभावी पुनर्वास को सुनिश्चित करते हुए हाथ से मैला ढ़ोने के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए इन सुझावों पर आगे विचार-विमर्श करेगा।

रिपोर्ट्स

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन द्वारा चेन्नई में 13वें थिंकएडू कॉन्क्लेव 2025 में भारत की वैश्विक मानव अधिकार स्थिति पर वक्तव्य

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन दिनमणि संपादक श्री वैद्यनाथन के साथ बातचीत करते हुए

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने चेन्नई में आयोजित 13वें थिंकएडू कॉन्क्लेव 2025 में मुख्य भाषण दिया। 'बैलेंसिंग द स्केल्स: अधिकार, कर्तव्य और भारतीय आत्मा' विषय पर बात करते हुए उन्होंने समकालीन भारत में मानव अधिकारों, शासन और अधिकारों और कर्तव्यों के बीच विकसित हो रहे संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। दिनमणि के संपादक वैद्यनाथन द्वारा संचालित इस सत्र ने भारत के मानव अधिकार ढांचे, चुनौतियों और वैश्विक मान्यता पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज अधिकारों के प्रति जागरूक होने के बजाय कर्तव्य के प्रति जागरूक रहा है। हालांकि, 20वीं सदी में, ध्यान व्यक्तिगत अधिकारों की ओर चला गया। उन्होंने कहा कि अब वैश्विक बदलाव हो रहा है, जहां लोग समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि अधिकारों की सुरक्षा जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा,"दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने का कर्तव्य स्वयं पर लागू किए बिना, हमारे अपने अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे।"

मानव अधिकारों को लागू करने में भारत की अनूठी चुनौतियों पर बात करते हुए, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने देश की विशाल विविधता पर प्रकाश डाला, जहाँ आठ से अधिक प्रमुख धर्मों का पालन किया जाता है, 1,640 से अधिक जातियाँ और समुदाय सह-अस्तित्व में हैं, और 22 आधिकारिक भाषाएँ कई जातीय समूहों के साथ मिलकर इसके सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य को

आकार देती हैं। यह विशाल विविधता मानव अधिकारों के प्रवर्तन को जटिल और महत्वपूर्ण दोनों बनाती है, जिसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो सार्वभौमिक अधिकारों को बनाए रखते हुए सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सम्मान करता है।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने एनएचआरसी की मान्यता में दो साल की देरी के लिए ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) द्वारा दिए गए कारणों से भी पूरी तरह असहमति जताई। कारण यह बताया गया कि एनएचआरसी का गठन 1993 के पेरिस सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके तर्क में एक बुनियादी दोष है, उन्होंने कहा, "यदि आप एनएचआरसी के प्रदर्शन का आकलन करते हैं और कहते हैं कि यह मानक के अनुरूप नहीं है, हम आपको प्रत्यापन नहीं देते हैं, तो मैं सहमत हूं। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आपके जन्म के तरीके में जन्मजात विकृति है, तो मुझे लगता है कि यह एनएचआरसी की प्रत्यापन के बारे में नहीं है, बल्कि यह सरकार के प्रत्यापन है।" उन्होंने स्वीकार किया कि एनएचआरसी की वैश्विक मान्यता में देरी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, खासकर तब जब उन्होंने एक महीने पहले ही इसके अध्यक्ष का पद संभाला है।

लेख

कानून से कार्यवाही तकः जोखिम भरे अपशिष्ट को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास

हाथ से मैला ढ़ोना एक ऐसी प्रथा है जिसमें अस्वास्थ्यकर शौचालयों, सीवरों और सेप्टिक टैंकों से मानव मल को हाथ से साफ करना, ले जाना और निपटाना शामिल है। यह न केवल मानवीय गरिमा के संदर्भ में घृणित है, बल्कि मानव अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन है। राष्ट्रीय विमर्श में इसके उन्मूलन के लिए लंबे समय से आह्वान और इरादों के बावजूद, यह प्रथा भारत के कुछ हिस्सों में जारी है, भले ही इसके उन्मूलन के उद्देश्य से कई कानूनी प्रावधान हैं।

29 जनवरी, 2025 को यह मुद्दा फिर से ध्यान में आया, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने छह महानगरीय शहरों: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में हाथ से मैला ढ़ोना और हाथ से सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगाने का एक महत्वपूर्ण फैसला जारी किया, जब उसने कहा कि केंद्र के हलफनामे में अक्टूबर, 2023 में अपने पहले के फैसले के जवाब में स्पष्टता का अभाव था, जब डॉ बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाथ से सफाई को पूरी तरह से खत्म करने और इस प्रथा में लगे लोगों के पुनर्वास की मांग की गई थी। अदालत ने अधिकारियों को 13 फरवरी, 2025 तक एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उनके संबंधित शहरों में हाथ से मैला ढ़ोना और सीवर सफाई कब और कैसे बंद हुई थी। इस फैसले के साथ न्यायालय ने स्पष्टता, पारदर्शिता और प्रवर्तन में लगातार अंतराल को उजागर करते हुए इस लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने की दिशा में एक कड़ा संदेश दिया है।

इससे पहले, न्यायालय ने हाथ से मैला ढ़ोने वाले का एक व्यापक सर्वेक्षण करने और हाथ से सीवर सफाई से संबंधित मौतों के लिए मुआवजे का आह्वान किया था। आयोग ने नोट किया कि 775 जिलों में से 456 की रिपोर्ट के बावजूद कि हाथ से मैला ढ़ोना या सीवर सफाई का कोई मामला नहीं है, जो कि पारदर्शिता और प्रगति की कमी स्पष्ट थी, खासकर प्रमुख शहरों में। आयोग ने चिंताजनक विचारणीय आँकड़ों को भी उजागर किया, जिसमें हाथ से सीवर सफाई के कारण 2018 और 2022 के बीच 347 मौतें हुई। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली इन मौतों के 40% के लिए जिम्मेदार थे। न्यायालय ने केंद्र को हाथ से मैला ढ़ोने के कार्य को समाप्त करने के प्रयासों का आकलन करने के लिए राज्यों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था, जबकि 14 निर्देश जारी करते हुए हाथ से मैला ढ़ोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया गया था। अन्य उल्लेखनीय उपायों में से एक सीवर सफाई से संबंधित मौतों के लिए मुआवजे को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करना शामिल था।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले द्वारा भी भारत में हाथ से मैला ढ़ोने के उन्मूलन में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने का अवसर मिला है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने हाथ से मैला ढ़ोने के उन्मूलन के लिए कई कानून बनाए हैं, जिनमें हाथ से मैला ढ़ोने वाले का रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 और हाथ से मैला ढ़ोने वालो के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 शामिल हैं। 2013 के अधिनियम ने हाथ से मैला ढ़ोने को अपराध घोषित करके, पुनर्वास को अनिवार्य

बनाकर और वैकल्पिक आजीविका प्रावधानों को पेश करके इस मुद्दे को संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन लोगों के लिए जो हाथ से मैला ढ़ोने कार्य में शामिल हैं।

इन कानूनों के बावजूद, बताए गए आंकड़ों और जमीनी हकीकतों पर गौर करने से यह संकेत नहीं मिलता कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। कई रिपोर्ट और अध्ययनों से पता चलता है कि देश के कुछ हिस्सों में, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों और शहरी झुग्गियों में, जहां बुनियादी ढांचे की कमी है, हाथ से मैला ढोने की प्रथा अभी भी मौजूद है। बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर साफ करने के लिए मजबूर किए जाने के कारण मौतें होती रहती हैं।

इस खतरे से निपटने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, केंद्र सरकार ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की शुरुआत की। देश भर के नगर निगमों को सेप्टिक टैंक, मैनहोल और सीवर की सफाई के लिए स्वचालित सीवर सफाई मशीनों और अन्य रोबोटिक उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की है, जिससे जोखिम भरे सफाई कार्यों में मानव की भागीदारी समाप्त हो जाएगी।इस दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, सरकार स्थानीय सफाई कर्मचारियों के लिए मशीनीकृत उपकरणों के संचालन और रखरखाव पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर रही है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

मशीनीकरण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा पूरक बनाया गया है, जो हाथ से मैला ढ़ोने वाले और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस सहायता में कौशल विकास कार्यक्रम और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण का प्रावधान शामिल है, जिससे हाथ से मैला ढ़ोने वालो को सम्मानजनक काम करने में मदद मिलती है। भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म और कोचों पर हाथ से सफाई को कम करने के लिए स्वच्छता प्रथाओं को आधुनिक बनाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। रोबोटिक डिवाइस, वैक्यूम-आधारित टॉयलेट क्लीनिंग और बायो-टॉयलेट जैसी मशीनीकृत प्रणालियों को लागू करने से जोखिम भरे स्वच्छता कार्यों में मानवीय भागीदारी कम हुई है। स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत अभियान यात्रियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। हालाँकि,बुनियादी ढांचे की कमी और रखरखाव की चुनौतियां बनी हुई हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत भी लगातार चिंता जताता रहा है और सीवर और जोखिम भरे कचरे की हाथ से सफाई को बंद करने, इसकी जगह मशीन से सफाई करने और इस काम में लगे श्रमिकों को राहत और पुनर्वास देने तथा बिना सुरक्षा उपकरण के श्रमिकों को काम पर रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। एनएचआरसी केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से हाथ से मैला ढ़ोना के मूल कारणों को दूर करने, पीड़ितों को राहत प्रदान करने और कानूनी उपायों के प्रवर्तन के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह करता रहा है। एनएचआरसी सरकारी निकायों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर भविष्य की राह पर चर्चा करने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित करता रहा है।

एनएचआरसी ने 2021 में अपनी परामर्शी के माध्यम से, जो 2023 के सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के समान है, जिसमें सीवर सफाई गतिविधियों की नियमित निगरानी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति खतरनाक परिस्थितियों में काम न करे। आयोग ने हाथ से मैला ढ़ोने वाले एक्ट के तहत दंड के सख्त कार्यान्वयन द्वारा नगर निगमों, ठेकेदारों और सरकारी एजेंसियों को जवाबदेह ठहराने के महत्व पर जोर दिया, जो अभी भी हाथ से मैला ढ़ोने वाले को काम पर रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने हाथ से मैला ढ़ोने से संबंधित कई शिकायतों को भी संभाला है, कानून के उल्लंघन के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है। कई मामलों में, आयोग ने स्वत: संज्ञान के माध्यम से हस्तक्षेप किया है। कई राज्यों में सीवरों में असुरक्षित कार्य स्थितियों के कारण हाथ से मैला ढ़ोने वाले की मृत्यु के बारे में मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रभावित परिवारों को कानून के अनुसार मुआवजा मिले।

कुछ प्रगति के बावजूद, सीवेज और जोखिम भरे कचरे की हाथ से सफाई के पूर्ण उन्मूलन के खिलाफ लड़ाई में चुनौतियां बनी हुई हैं। भविष्य की राह उन्नत सफाई प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाने में निहित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये समाधान छोटे नगर पालिकाओं के लिए किफायती और सुलभ दोनों हैं। नगरपालिकाओं के पास निजी स्थानों में सीवर गड्ढों और मैनहोल की मशीनीकृत सफाई के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए, जो एक चुनौती है।

स्वच्छ परिवेश और पर्यावरण सुनिश्चित करने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका और योगदान का कभी भी अनादर नहीं किया जा सकता या उसे कम नहीं आंका जा सकता। किसी काम के महत्व को उसके निष्पादन के तरीके से कम नहीं किया जा सकता। इसलिए, बस इतना ही आवश्यक है कि सीवेज और जोखिम भरे कचरे की नंगे हाथों से सफाई को समाप्त किया जाए और कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा और स्वच्छता के लिए मशीनीकृत सहायता और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएं, जिससे उन्हें सम्मान मिलेगा और उनकी जाति और समुदाय से परे अन्य लोगों की भागीदारी अधिकतम होगी। इसके अलावा, उनके बीच निरंतर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है कि वे बिना सुरक्षा उपकरणों के जोखिम भरे और सीवेज कचरे की सफाई न करें, ताकि हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके और प्रभावित समुदायों के पुनर्वास और समाज में एकीकरण के माध्यम से उनकी गरिमा को बहाल किया जा सके।

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बारे में जानने के लिए मीडिया रिपोर्टें बहुत उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के ऐसे कई मुद्दों का स्वत: संज्ञान लिया और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत पहुंचाई। जनवरी 2025 के दौरान, आयोग ने स्वत: संज्ञान से मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 06 मामलों में संज्ञान लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट के लिए नोटिस जारी किए गए। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

स्वत: संज्ञान

उपचार से इनकार करने के कारण एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा आत्महत्या

(केस नं. 13/10/1/2025)

25 दिसंबर, 2024 को मीडिया रिपोर्ट्स में 72 वर्षीय एक व्यक्ति के मामले को उजागर किया गया, जिसने कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य सरकार द्वारा संचालित किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 5 लाख रुपये के कवरेज से इनकार किए जाने के बाद क्षुब्ध होकर अपनी जान ले ली। योजना में उनके नामांकन के बावजूद, अस्पताल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसके कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार से आधिकारिक निर्देशों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए लाभ देने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त, मीडिया रिपोर्टों ने कई अन्य उदाहरणों का उल्लेख किया है जहाँ AB PM-JAY वरिष्ठ नागरिक योजना के लाभार्थियों को इसके लाभों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अपेक्षा है कि नोटिस के जवाब में कर्नाटक और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एबी पीएम-जेएवाई वरिष्ठ नागरिक योजना के वर्तमान कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी शामिल होगी।

कई व्यक्तियों द्वारा लड़की का यौन शोषण

(केस नं. 12/11/15/2025)

15 जनवरी 2025 की मीडिया में खबर आई कि केरल के पथानामथिट्टा जिले में अनुसूचित जाति की एक लड़की के साथ कई लोगों ने यौन शोषण किया। खबर के अनुसार, इस मामले में 30 एफआईआर में 59 आरोपियों में से 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दो आरोपी विदेश भाग गए हैं और बाकी 13 को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। आयोग ने केरल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग द्वारा मांगी जा रही विस्तृत रिपोर्ट में एफआईआर की स्थिति, उसके स्वास्थ्य और उसे दी गई चिकित्सा देखभाल, परामर्श और मुआवजा (यदि कोई हो) की स्थिति शामिल होना अपेक्षित है।

सीवेज पम्पिंग स्टेशन की सफाई करते समय दो श्रमिकों की मौत

(केस संख्या 34/6/24/2025)

21 जनवरी 2025 को मीडिया में खबर आई कि गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भूमिगत सीवेज पंपिंग स्टेशन में फंसने के बाद दो श्रमिकों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब श्रमिक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवेज पंपिंग स्टेशन की सफाई करने के लिए उसमें घुसे थे। पीड़ित पाटडी नगर निगम के संविदा कर्मचारी थे। तदनुसार, आयोग ने गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मामलों की जांच की स्थिति के साथ-साथ पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) को भी शामिल करना अनिवार्य कर दिया है।

बिजली का करंट लगने से मौत

(केस नं. 53/7/5/2025)

22 जनवरी, 2025 को मीडिया ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के एक लाइनमैन की 21 जनवरी, 2025 को गुरुग्राम, हरियाणा के सिकंदरपुर बधा में बिजली के ट्रांसफार्मर पर काम करते समय करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। कथित तौर पर, जब वह काम कर रहा था, तब बिजली की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई थी। आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के चेयरमैन और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में एफआईआर की स्थिति और मृतक के निकटतम सम्बंधी को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) को शामिल करने की अपेक्षा है।

सर्दी के मौसम में 474 बेघर व्यक्तियों की मौत

(केस नं. 130/30/0/2025)

16 जनवरी, 2025 को मीडिया ने बताया कि बेघर लोगों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (सीएचडी) के अनुसार, दिल्ली में इस सर्दी के मौसम में 56 दिनों के भीतर लगभग 474 लोगों की जान चली गई है। कथित तौर पर, ये मौतें 15 दिसंबर, 2024 से 10 जनवरी, 2025 के बीच गर्म कपड़े, कंबल और पर्याप्त आश्रय जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की अनुपलब्धता के कारण हुई हैं। एनजीओ के कथित दावे के अनुसार, दिल्ली में लगभग 80 प्रतिशत अज्ञात शव बेघर व्यक्तियों के थे। आयोग ने मुख्य सचिव और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राहत के लिए संस्तुतियां

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को संबोधित करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की संस्तुति करना है। यह नियमित रूप से ऐसे विभिन्न मामलों को उठाता है और पीड़ितों को राहत देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और संस्तुतियां देता है। जनवरी, 2025 में 05 मामलों में पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी के लिए 18 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई थी, जिसमें पाया गया था कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	3900/4/1/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	बिहार
2.	446/18/12/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	3.00	ओडिशा
3.	1521/36/7/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	3.00	तेलंगाना
4.	3895/18/2/2022	हिरासत में यातना	2.00	ओडिशा
5.	13359/24/32/2024	बिजली का करंट लगने से मौत	5.00	उत्तर प्रदेश

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

आयोग ने विभिन्न लोक प्राधिकरणों से भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट या अन्य अवलोकन /निर्देश की प्राप्ति होने पर 07 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की संस्तुतियों पर पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी को ₹ 30 लाख की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	1107/20/14/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	राजस्थान
2.	4/21/3/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	सिक्किम
3.	1693/24/39/2018-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	7.00	उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
4.	31853/24/78/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	उत्तर प्रदेश
5.	4688/30/1/2021-डब्ल्यूसी	यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस की निष्क्रियता	5.00	दिल्ली
6.	2842/18/5/2017	राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	1.00.	ओडिशा
7.	9165/24/31/2021	अवैध शराब के सेवन से मौत	2.00	उत्तर प्रदेश

केस स्टडीज

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन उनकी कानूनी कार्रवाई की कमी, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ था। इसलिए, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत न केवल मामले-दर-मामला आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति की, बल्कि मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत देने की भी संस्तुति की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा अपनी संस्तुतियों के अनुपालन की रिपोर्ट भी मिली। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

हिरासत में मौत

(केस नंबर 1693/24/39/2018-जेसीडी)

यह मामला 2018 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जिला कारागार में एक व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत से संबंधित है। अपने नोटिस के जवाब में प्राप्त सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि जांच करने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा था कि मृतक कैदी के खिलाफ जिला कारागार, जौनपुर के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार या शारीरिक हमले के दावों की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं है। हालांकि, एमईआर ने मजिस्ट्रेट जांच के दौरान मृतक की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को संबोधित नहीं किया, जिसमें उसने दावा किया था कि पुलिस कर्मियों ने उसे बताया था कि उसके पति के सिर पर लगी चोट जेल में हाथापाई के कारण हुई थी। इसके अलावा, आयोग के पैनल में चिकित्सा विशेषज्ञ ने बताया कि सिर पर लगी चोट ऐसी स्थिति में थी जो खुद गिरने के कारण नहीं हो सकती थी। इसलिए, आयोग ने माना कि यह घटना जेल अधिकारियों की ओर से हिरासत में बंद व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने में लापरवाही का संकेत देती है और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक के निकटतम सम्बंधी को राहत के रूप में 7 लाख रुपये का भुगतान करने की संस्तुति की, जिसका भुगतान किया गया।

नकली शराब पीने से मौतें

(केस संख्या 9165/24/31/2021)

यह मामला 2021 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारियों ने 2021 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध शराब बेचने वाले कुछ व्यापारियों के साथ मिलीभगत की। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और एक अन्य ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अपने नोटिस के जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की जाँच करने में विफलता के कारण नकली शराब के सेवन से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इसलिए, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को उनके निकटतम सम्बंधी को राहत के रूप में 1-1 लाख रुपये देने की संस्तुति की। अनुशंसित राशि का विधिवत भुगतान किया गया।

नाबालिगों की हत्या और यौन शोषण

(केस नं. 620/4/26/2024)

यह मामला 2024 में बिहार के पटना में दो नाबालिग लड़कियों के बलात्कार से जुड़ा है, जिनमें से एक की हत्या कर दी गई थी जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कथित तौर पर, पीड़ित लड़कियों के माता-पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती, तो जघन्य अपराध को टाला जा सकता था। इसलिए, बिहार सरकार को अपने लोक सेवकों की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, आयोग ने मृतक लड़की के निकटतम सम्बंधी को 8.25 लाख रुपये और दूसरी लड़की को 3.75 लाख रुपये की राहत राशि देने की संस्तुति की। अनुशंसित राशि का विधिवत भुगतान किया गया। आयोग को यह भी बताया गया कि आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बकाया राशि जारी करने में देरी

(केस नं. 1071/1/2/2024)

मामला शिकायतकर्ता को राशि जारी करने में देरी से संबंधित है, जिसने 2022 में जिला कलेक्टर, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश के आदेशानुसार कोविड-19 रोगियों को 20,52,650/- रुपये का भोजन आपूर्ति की थी। अपने नोटिसों के जवाब में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रमाणित पत्रों के साथ बिलों को आंध्र प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य आयुक्त को अग्रेषित नहीं किया, और इसलिए, बिलों को अस्वीकार कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया।

आयोग ने शिकायत की एक प्रति सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार और जिला कलेक्टर, अनंतपुरमू को भेजी, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और मामले में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने सहित अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, शिकायतकर्ता के लंबित बिलों का भुगतान किया गया।

क्षेत्रीय दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मानव अधिकारों और संबंधित राज्य सरकारों और उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग द्वारा जारी परामर्शियों की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं। इन दौरों में वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों आदि का भी दौरा करते हैं और सरकारी अधिकारियों को मानव अधिकारों के हित में आवश्यक प्रयास करने के लिए जागरूक करते हैं। आयोग द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के शीघ्र निपटान में की मदद करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी जोर देता है।

एनएचआरसी, भारत के सदस्यों का दौरा

i.) 7 जनवरी, 2025 और 10-17 जनवरी, 2025 तक, श्री प्रियंक कानूनगो, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और स्थानीय समुदायों/लोगों के साथ-साथ नागरिक समाज संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ बातचीत करने के लिए ओखला, दिल्ली और मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा और रायसेन जिलों में स्थित झुग्गी बस्तियों का दौरा किया।

ii.) 6-7 जनवरी, 2025 को एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने बेंगलुरु की सेंट्रल जेल और मैसूर, कर्नाटक के एचडी कोटे तालुक में एसटी पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया और वहां मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया। इस दौरे का उद्देश्य उनकी चिंताओं और चुनौतियों को समझना और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना था।

iii.) 31 जनवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कोवूर की ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके कर्तव्यों और सब्सिडी, योजनाओं और पेंशन के लाभों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। सदस्य ने कोवूर में जेडपी गर्ल्स हाई स्कूल का भी

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी कर्नाटक के मैसूर में एचडी कोटे तालुक में एसटी पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण करती हुई

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी बेंगलुरु में सेंट्रल जेल का दौरा करती हुईं

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी नेल्लोर के कोवूर ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारियों के साथ

◀ एनएचआरसी, भारत की विशेष प्रतिवेदक, श्रीमती सुचित्रा सिन्हा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित एक आश्रय गृह में दौरा करती हुई

औचक दौरा किया। उन्होंने पाया कि 800 छात्रों वाले इस विद्यालय में केवल 10 शौचालय थे, स्वच्छता की कमी थी, पीने के पानी की उचित आपूर्ति नहीं थी और भोजन के वितरण में अनियमितता थी।

विशेष प्रतिवेदक और मॉनिटर

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 14 विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों और इसी तरह के संस्थानों का दौरा करते हैं, आयोग के लिए रिपोर्ट संकलित करते हैं जिसमें भविष्य की कार्रवाई के लिए उनके अवलोकन और सुझाव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 21 विशेष मॉनीटर्स को नियुक्त किया है जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की देखरेख करने और आयोग को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है। जनवरी, 2025 के दौरान, विशेष प्रतिवेदकों और मॉनीटर्स ने कई स्थानों का दौरा किया।

विशेष प्रतिवेदक

i.) 11 से 15 जनवरी, 2025 तक, श्री उमेश कुमार शर्मा ने सुविधाओं का आकलन करने के लिए भुज जिले के बाल गृहों/वृद्धाश्रमों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों का दौरा किया।

ii.) 23 से 30 जनवरी, 2025 तक श्रीमती सुचित्रा सिन्हा ने मानव अधिकार स्थितियों का आकलन करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड के चाईबासा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एससी/एसटी आवासीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ऑब्जर्वेशन होम, शेल्टर होम, नारी निकेतन का दौरा किया।

iii.) 26 से 31 जनवरी, 2025 तक श्री उमेश कुमार ने जेल में कैदियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए सुविधाओं का आकलन करने के लिए उत्तर लखीमपुर, असम में जिला जेल का दौरा और निरीक्षण किया।

विशेष मॉनिटर

i.) 21 से 29 जनवरी, 2025 तक, श्री बालकृष्ण गोयल ने महाराष्ट्र में वृद्धाश्रमों, बाल देखभाल संस्थानों और अवलोकन गृहों और आंगनवाड़ी केंद्रों आदि का मौके पर निरीक्षण और डेटा संग्रह के लिए दौरा किया।

ii.) 20 से 25 जनवरी, 2025 तक, डॉ. प्रदीप्त कुमार नायक ने ओडिशा के झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों में कुष्ठ कार्यक्रम के जिला स्तरीय अधिकारियों, समाज कल्याण विभागों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, सामान्य समुदायों और कुष्ठ कॉलोनियों का दौरा किया।

◀ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर, श्री बालकृष्ण गोयल ने महाराष्ट्र में राजा शिवाजी सरकारी स्कूल, मुंबई का दौरा करते हुए

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को मानव अधिकारों संरक्षण एवं संवर्धन तथा उनके बारे में जागरूकता का प्रसार करने हेतु अधिदिष्ट है। यह अपने जनसंपर्क और मानव अधिकार संवेदनशीलता का विस्तार करने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगी प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित कर रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत रूप से और साथ ही ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। ऑनलाइन इंटर्नशिप यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र बिना किसी यात्रा और दिल्ली में रहने के खर्च के इसमें शामिल हो सकें।

एनएचआरसी शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए आयोजित 4-सप्ताह की व्यक्तिगत शीतकालीन इंटर्नशिप – 2024, 16 जनवरी, 2025 को संपन्न हुई। इसका शुभारम्भ 19 दिसंबर, 2025 को हुआ था। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के भिन्न- भिन्न शैक्षणिक विषयों से 80% महिलाओं सहित 61 छात्रों ने इसे पूरा किया। उन्हें 1,000 से अधिक आवेदकों में से शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें 18 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों के छात्र शामिल थे।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी.रामा सुब्रमण्यन ने सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बी.आर. सारंगी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में छात्रों को इंटर्नशिप

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए

▶ समापन सत्र में भाग लेने वाले प्रतिभागी

के सफल समापन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को अपने पास मौजूद सूचनाओं तक पहुंच का सबसे अच्छा और सबसे रचनात्मक उपयोग करना चाहिए। उन्हें जीवन में मानवीय मूल्यों को अपनाना चाहिए, जिसके बिना वे दूसरों के मानव अधिकारों का सम्मान नहीं कर सकते।

उन्होंने मानव अधिकारों के सम्मान और पालन की सदियों पुरानी भारतीय लोकाचार और संस्कृति की समृद्धि को रेखांकित किया, जो आजादी के तुरंत बाद भारत के संविधान में भी परिलक्षित हुई, जिसने जन्म से ही मनुष्य के सभी अविभाज्य अधिकारों को मुक्त कर दिया। सभी को समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए; अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और महिलाओं सहित सभी को मतदान का अधिकार दिया गया।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में भी मानव अधिकारों के विकास को संवैधानिक और कानूनी रूप से साकार होने में वर्षों का संघर्ष लगा। 1776 में ब्रिटिश शासन से आजादी के वर्षों बाद, 1865 में गुलामी को खत्म करने में 90 साल लग गए और उसके बाद 1956 में अलगाव कानून को असंवैधानिक घोषित करने में 90 साल लग गए इस संदर्भ में उन्होंने रूसा पार्क्स का उदाहरण दिया, जो एक अश्वेत नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने एक श्वेत व्यक्ति को अपनी बस की सीट देने से इंकार कर दिया था, जिससे अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 381 दिनों तक नगर निगम की बसों का बहिष्कार करके आगे बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अश्वेत और श्वेत अमेरिकी नागरिकों के बीच भेद करने वाले पृथक्करण कानून को समाप्त कर दिया गया।

▶ एनएचआरसी भारत, के अध्यक्ष और वरिष्ठ आधिकारियों के साथ प्रशिक्षु

ऑन-साइट व्यक्तिगत इंटर्नशिप के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम व्यक्तियों को खुशी, आनंद, चुनौतियों और मूल्य प्रणालियों को साझा करने का एक अपूरणीय अवसर प्रदान करते हैं - एक ऐसा अनुभव जिसे ऑनलाइन सेटिंग में दोहराया नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि जीवन कौशल केवल किताबों से नहीं सीखे जाते बल्कि पारस्परिक संचार के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से विकसित किए जाते हैं। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि 80% इंटर्न महिलाएं थीं और कहा कि ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं ने मानव अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया है।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने अपने संबोधन में छात्रों से सहानुभूति, संवेदनशीलता और जवाबदेही के मूल मूल्यों को आत्मसात करने और प्रकट करने का आग्रह किया। इंटर्नशिप ने छात्रों को विभिन्न प्रख्यात वक्ताओं के माध्यम से मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से परिचित होने का अवसर दिया। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त ज्ञान का उपयोग करें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर समाज को वापस देने के लिए मानव अधिकारों के दायरे का विस्तार करें जो एक वास्तविक 'गुरु दक्षिणा' होगी।

एनएचआरसी के संयुक्त सचिव श्री देवेंद्र कुमार निम ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर सत्रों के अलावा, प्रशिक्षुओं को पुलिस स्टेशनों, तिहाड़ जेल, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिल्ली में आशा किरण आश्रय गृह का दौरा कराया गया। इन गतिविधियों ने प्रशिक्षुओं को सरकारी संस्थानों के कामकाज, मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी जमीनी हकीकत और जरूरतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। श्री निम ने पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रस्तुति और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं की भी घोषणा की।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप शुरू

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 27 जनवरी, 2025 को अपना दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (ओएसटीआई) शुरू किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न भागों से विविध शैक्षणिक विषयों के 80 स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को चुना गया है, कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में मानव अधिकारों से संबंधित कानूनों और उनके अनुप्रयोग का ज्ञान प्रदान करना है।

इंटर्नशिप का उद्घाटन करते हुए, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी ने मानव अधिकारों के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय लोकाचार और संस्कृति में मानव अधिकारों के सम्मान की समृद्ध विरासत पर प्रकाश डाला जो हमारे संविधान और कानून में परिलक्षित होती है।उन्होंने कहा कि इस इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को लोगों के अधिकारों, खास तौर पर कमज़ोर समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए सशक्त बनाना है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे कार्यक्रम में भागीदारी देने, विशेषज्ञों से सीखने और अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने में योगदान दें।

इससे पहले, एनएचआरसी के संयुक्त सचिव श्री देवेंद्र कुमार निम ने कार्यक्रम के सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया, जिसमें व्याख्यान और तिहाड़ जेल जैसी संस्थाओं के वर्चुअल विजिट शामिल हैं, जो मानव अधिकारों की जमीनी हकीकत के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। उन्होंने प्रशिक्षुओं को विभिन्न गतिविधियों/प्रतियोगिताओं के बारे में भी बताया, जो मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनके अनुभव को बढ़ाएंगे।

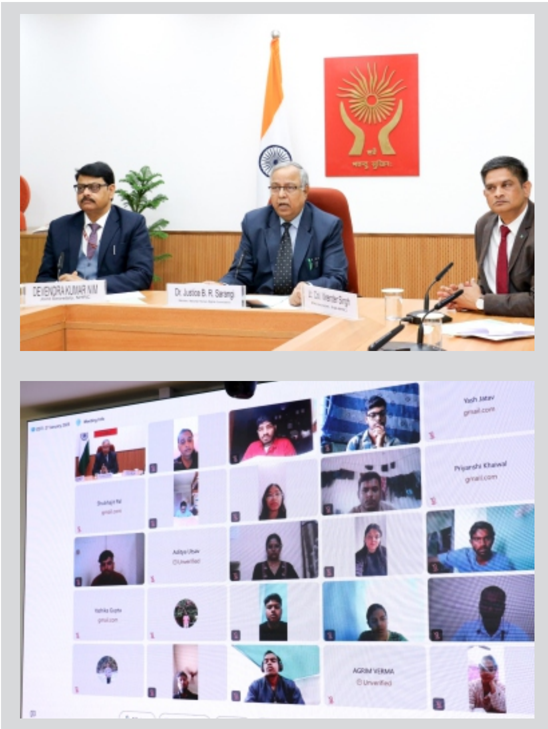

एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ऑनलाइन इंटर्नशिप का उद्घाटन करते हुए

कार्यशालाएं

जनवरी, 2025 के दौरान, आयोग ने 04 सहयोगात्मक मानव अधिकार जागरूकता कार्यशालाओं का भी समर्थन किया, जो इस प्रकार थीं:

i.) 10 जनवरी, 2024 को, एनएचआरसी, भारत ने सदाबाई रायसोनी महिला कॉलेज, नागपुर, महाराष्ट्र के संयुक्त तत्वाधान में महिला अधिकारों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

सदाबाई रईसनी महिला महाविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र में मानव अधिकार जागरुकता कार्यशाला

ii.) 11 जनवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत ने न्यायिक अधिकारियों के लिए भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) के संयुक्त तत्वाधान में 'मानव अधिकार : मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव, श्री देवेंद्र कुमार निम ने 'मानव अधिकार रूपरेखा: मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करने में एनएचआरसी की भूमिका' विषय पर एक सत्र लिया।

एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव, श्री डी.के. निम, नई दिल्ली में आईएलआई प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

iii.) 20 जनवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई स्थित अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टडीज़ (AUS) के सहयोग से 'शिक्षा के अधिकार' पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

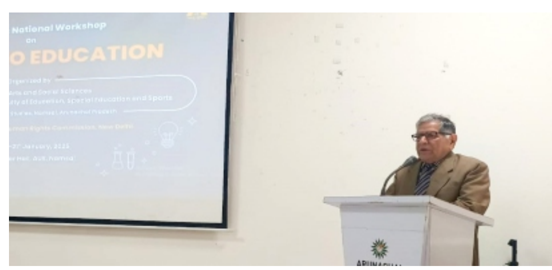

अरुणाचल अध्ययन विश्वविद्यालय, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में मानव अधिकार जागरुकता कार्यशाला

iv.) 22 जनवरी, 2025 को, एनएचआरसी इंडिया ने प्रोफेसर एनआर माधव मेनन अंतःविषय केंद्र फॉर रिसर्च एथिक्स एंड प्रोटोकॉल्स, सीयूएसएटी, कोच्चि, केरल के संयुक्त तत्वाधान में 'निजता का अधिकार और डिजिटल स्पेस: एक मजबूत मानव अधिकार विधायी ढांचे के निर्माण की दिशा में' विषय पर हाइब्रिड मोड में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

▶ प्रोफेसर एन.आर. माधव मेनन अंतःविषय अनुसंधान नैतिकता एवं प्रोटोकॉल केंद्र, सीयूएसएटी, कोच्चि, केरल में मानव अधिकार संगोष्ठी

ज्ञानार्जन दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत कॉलेज स्तर के छात्रों और उनके संकायों के बीच मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें मानव अधिकारों, उनके संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, (पीएचआरए), 1993 के अनुरूप इस उद्देश्य के लिए इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है। जनवरी, 2025 के दौरान, विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 118 छात्रों और संकाय सदस्यों ने आयोग का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधि और अन्वेषण प्रभागों और शिकायत प्रबंधन प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। उनके दौरे इस प्रकार थे:

i.) 20 जनवरी, 2024 को सत्यभामा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु के 32 छात्रों और संकायों ने एनएचआरसी का दौरा किया।

ii.) 21 जनवरी, 2025 को एमेक्स लॉ कॉलेज, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के 56 छात्रों और संकाय सदस्यों ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया।

iii.) 24 जनवरी, 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के 30 छात्रों और संकायों के एक बैच ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया।

मूट कोर्ट

आयोग मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण हेतु विधि के छात्रों में विधायी जागरूकता और सूझबूझ पैदा करने के लिए मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं के आयोजन में विभिन्न संस्थानों को सहायता भी प्रदान करता है। जनवरी माह के दौरान, आयोग द्वारा निम्नलिखित मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं को सहायता प्रदान की गई:

i.) 3 से 5 जनवरी, 2025 तक, आयोग ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु, कर्नाटक में पहली NHRC-NLSIU मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की। इस कार्यक्रम में देश भर से छात्रों की कई टीमों ने भाग लिया। मूट प्रतियोगिता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विषय पर केंद्रित थी और प्रमुख संवैधानिक सिद्धांतों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करती थी। एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी प्रतियोगिता के समापन सत्र की मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता बहुत ही रोचक थी साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की इस तरह के अभ्यास मानव अधिकार से सम्बन्धित मुद्दों के समर्थन में उभरते वकीलों को पहचान देने में मदद करेंगे। वह मूट कोर्ट के अंतिम चरण में निर्णायक मंडल की सदस्य भी थी।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी प्रथम एनएचआरसी-एनएलएसआईयू बेंगलुरु मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन सत्र में भाग लेती हुई

ii.) 7 जनवरी, 2025 को आयोग ने राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय, आईआईटी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में 'मानव अधिकार एवं प्रौद्योगिकी' विषय पर एनएचआरसी-आरजीएसओआईपीएल राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया। मूट कोर्ट प्रतियोगिता में निजता के अधिकार और उससे जुड़े पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री देवेंद्र कुमार निम ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि छात्र मानव अधिकारों के लिए तर्क देने में अपने कौशल को निखारने के लिए इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे।

▶ एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री डी.के. निम एनएचआरसी-आरजीएसओआईपी खड़गपुर मूट कोर्ट प्रतियोगिता में उद्घाटन भाषण देते हुए

iii.) 25 जनवरी, 2025 को आयोग ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली, पंजाब के साथ मिलकर एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों से जुड़ने की चुनौती दी गई।

▶ आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली, पंजाब में मूट कोर्ट प्रतियोगिता का दृश्य

एनएचआरसी इंडियाज़ इक्वलिटी मूनशॉट एट दावोस

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए आयोग के कामकाज को समझने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य एनएचआरआई के साथ बातचीत करने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के लिए चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाते हैं।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव द्वारा महिला सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्थाओं का परिवर्तन विषय पर भारतीय दृष्टिकोण

22-23 जनवरी, 2025 को स्विटजरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व महिला दावोस एजेंडा 2025 में मुख्य भाषण देने का सम्मान एनएचआरसी, भारत के महासचिव को मिला।' भारत की समानता की दिशा में एक कदम' विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में महासचिव ने सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए समानता, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की प्रगतिशील यात्रा पर प्रकाश डाला। यह सत्र राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर मानव अधिकारों ,

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल विश्व महिला दावोस एजेंडा 2025 में भागीदारी देते हुए

लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

महासचिव ने संवैधानिक मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत और विधिसम्मत ढांचे पर निर्मित समावेशी और समतापूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। 1.4 बिलियन लोगों की आबादी के साथ, भारत की विविधता, जिसमें 22 आधिकारिक भाषाएँ, 1,800 बोलियाँ और कई धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान शामिल हैं, इसके समानता एजेंडे की नींव है। प्रगतिशील नीतियों ने महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रमुख चालक बनने में सक्षम बनाया है, जिससे वे 2047 तक विकसित देश बनने के देश के लक्ष्य में सहायक बन गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत महिलाओं को समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान करने में वैश्विक नेता रहा है। प्रारंभिक संवैधानिक गारंटी ने शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की, और आज, स्थानीय स्वशासन की 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, हाल ही में संसदीय विधेयक ने इस पहल को

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल मुख्य भाषण देते हुए

राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं तक बढ़ा दिया है। वर्तमान में, ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ हैं, जो जेंडर-संतुलित शासन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

महासचिव ने वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की भूमिका के बारे में बात की। 1 बिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, लाखों ग्रामीण महिलाओं ने डिजिटल तकनीक को अपनाया है। जन धन योजना ने 550 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोलने में मदद की है, जिनमें से 66% महिलाओं के स्वामित्व में हैं, जिससे वित्तीय स्वायत्तता और आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि भारत की सक्रिय सकारात्मक कार्रवाइयों ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके हाशिए के वर्गों को मुख्यधारा में शामिल किया है। सार्वभौमिक आय हस्तांतरण, आवास, स्वच्छता और स्वच्छ जल पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाओं ने लाखों लोगों का उत्थान किया है। भारत की प्रतिबद्धता केवल सहायता प्रदान करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने और आगे बढ़ने का अवसर मिले।

चर्चा के दौरान भारत की सभ्यतागत नीति 'वसुधैव कुटुम्बकम' (विश्व एक परिवार है) पर चर्चा की गई। महासचिव ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी सीमाओं से परे समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कैसे आगे बढ़ाता है, समावेशी वैश्विक निर्णय-निर्माण और न्याय का समर्थन करता है। जी-20 में एक नेता के रूप में, भारत ने अफ्रीकी संघ को शामिल करने का समर्थन किया, सामूहिक वैश्विक प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। यह समर्थन सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश या समुदाय सतत विकास और मानव अधिकारों की खोज में पीछे न छूट जाए।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए महासचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह करुणा, सहानुभूति और गैर-भेदभाव

▶ प्रतिभागियों का एक समूह

देश की परंपराओं में गहराई से समाहित हैं। भारत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे प्रमुख विश्व धर्मों का घर है, जबकि ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और पारसी धर्म के लिए भी एक संपन्न घर के रूप में कार्य करता है। इस सह-अस्तित्व ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जहाँ सभी के लिए समानता, न्याय और सम्मान सर्वोपरि है। भारत ने लगातार ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है जो सामाजिक बाधाओं को तोड़ते हैं और समावेशी विकास के लिए मार्ग बनाते हैं।

विश्व महिला दावोस एजेंडा 2025 में महासचिव के संबोधन द्वारा जेंडर समानता, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी शासन में भारत के नेतृत्व को मजबूती मिली। इस सत्र ने भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और अधिक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया की दिशा में वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। भारत की प्रगतिशील नीतियों, प्रौद्योगिकी के रणनीतिक उपयोग और समावेशी शासन पर जोर ने इसके नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी अवसर उपलब्ध कराएं हैं। जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकास की ओर प्रगतिशील है, समानता के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता दुनिया भर के देशों के लिए एक मॉडल के रूप में प्रतिमान है।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर बढ़ते आयामों और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण हमेशा एक प्रगतिशील कार्य है। भारत में, लोगों के बुनियादी मानव अधिकारों का संरक्षण करके उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों के अलावा, विधायिका, न्यायपालिका, एक जीवंत मीडिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) जैसी संस्थाएँ हैं, साथ ही अन्य राष्ट्रीय आयोग और उनके राज्य समकक्ष समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों के मुद्दों के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। इस कॉलम का उद्देश्य मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एसएचआरसी द्वारा की गई असाधारण गतिविधियों को उजागर करना है।

पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग

पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग, पिछले 15 वर्षों से हर दो साल में चार सप्ताह का ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जनवरी, 2025 के दौरान, पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग ने अपने शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में 70 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया। इस इंटर्नशिप की खासियत यह रही है कि प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए "हर एक प्रशिक्षु दस को सिखाए" के सिद्धांत का पालन किया गया है। इस पहल के तहत, हर प्रशिक्षु को कम से कम दस व्यक्तियों को उनके मानव अधिकारों और इन अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए मानव अधिकार आयोगों के कामकाज के बारे में शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है।

▶ पीएसएचआरसी में छात्रों की इंटर्नशिप का दृश्य

महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग

महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग (एमएसएचआरसी) द्वारा जनवरी, 2025 के दौरान राज्य भर में न्याय, समानता और समावेश को बढ़ावा देने के अपने मिशन में कई आउटरीच गतिविधियाँ, शैक्षिक जुड़ाव कार्यक्रम और समुदाय-केंद्रित यात्राएँ आयोजित कीं गयी।

इंटर्नशिप

2 जनवरी से 30 जनवरी, 2025 तक, एमएसएचआरसी ने तीन लॉ कॉलेजों के 28 लॉ छात्रों के लिए शीतकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आयोग के कामकाज से परिचित कराना और मानव अधिकार मुद्दों के बारे में उनके अनुभव को बढ़ाना था। मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यानों के अलावा, छात्रों को मानव अधिकार कार्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थानों का दौरा कराया गया। इनमें कल्याण जेल, ठाणे मानसिक अस्पताल, आदिवासी आश्रम स्कूल, बीएमसी सीवेज साइट और महिला आश्रय गृह शामिल थे। छात्रों ने अपने फील्ड अनुभव के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

▶ एमएसएचआरसी में शीतकालीन इंटर्नशिप का दृश्य

दौरा

जनवरी, 2025 के दौरान, एमएसएचआरसी सचिव, श्री नितिन के पाटिल ने हाशिए पर रहे समुदायों की ज़रूरतों को समझने और आयोग को उपाय सुझाने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई महत्वपूर्ण दौरे किए, ताकि सुधार के लिए संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों को आवश्यक संस्तुतियां की जा सकें। उन्होंने जिन जगहों का दौरा किया, उनमें रायगढ़ में यूसुफ़ महरौली आदिवासी केंद्र और लड़कों और लड़कियों के लिए उसका छात्रावास, शांतिवन, कुष्ठ रोगियों के लिए एक पुनर्वास केंद्र और एक वृद्धाश्रम, सुधागढ़ तालुका में आदिवासी इलाके शामिल थे। उन्होंने कातकरी आदिवासी समुदाय को आधार कार्ड वितरित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो अक्सर प्रवास पर रहने वाला एक समूह है, जिनमें से कई इस महत्वपूर्ण पहचान तक पहुँचने में असमर्थ हैं।

ऑटिज्म फोरम के सदस्यों ने एमएसएचआरसी का दौरा किया, आयोग ने अपने विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की। कार्यवाहक अध्यक्ष श्री संजय कुमार ने आयोग को सलाह दी कि वे इस मामले में एमएसएचआरसी के हस्तक्षेप पर विचार करने के लिए शिकायत दर्ज कराएं।

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

जनवरी, 2025 माह के दौरान कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने राज्य के विभिन्न जिलों में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कई गतिविधियाँ आयोजित कीं।

बेल्लारी और कोलार जिलों का दौरा

केएसएचआरसी ने 9 और 30 जनवरी, 2025 को बेल्लारी और कोलार जिलों में मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ की बैठक आयोजित की, ताकि संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों को मुद्दों को हल करने के

▶ केएसएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष, डॉ. टी. शाम भट्ट और सदस्य, श्री एस.के. वन्तिगोडी

लिए मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए जा सकें। सुनवाई के दौरान इन जिलों के उपायुक्त, सीईओ जिला पंचायत, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

आयोग ने इन जिलों में जेलों, सरकारी बालिकाओं एवं बालकों के छात्रावासों तथा अन्य सरकारी वित्तपोषित संस्थानों का भी औचक दौरा किया तथा मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जनता एवं अन्य सामाजिक समूहों के साथ बातचीत की।

मैसूर दौरा

केएसएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष और सदस्य ने 20 जनवरी, 2025 को मैसूर में केंद्रीय कारागार का दौरा किया और तीन दोषी कैदियों की मौत की जांच की और संबंधित अधिकारियों को अपने कर्तव्यों में अधिक सक्रिय और सतर्क रहने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके

▶ केएसएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य मैसूरु स्थित केंद्रीय कारागार का निरीक्षण करते हुए

कि ऐसी घटनाएं दुबारा न हों। उन्होंने केआर अस्पताल-मैसूर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, मैसूर का भी दौरा किया और मरीजों से बातचीत की। मरीजों के मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी और मैसूर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान के डीन को आवश्यक निर्देश दिए गए।

आयोग ने 28 जनवरी, 2025 को पीईएस विश्वविद्यालय, बेंगलुरु में एक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें लगभग 1,000 छात्रों ने भाग लिया।

गोवा राज्य मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, गोवा राज्य मानव अधिकार आयोग ने मनोचिकित्सा और मानव व्यवहार संस्थान (आईपीएचबी), बम्बोलिम-गोवा का दौरा किया। इसमें लगभग 190 रोगी हैं। टीम ने महिला और पुरुष वार्ड का दौरा किया और रोगियों से बातचीत की। आयोग ने कैंटीन और रसोई क्षेत्रों का भी दौरा किया, जिन्हें स्वच्छ परिस्थितियों में रखा जाता है और आहार विशेषज्ञ और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा अच्छी तरह से देखरेख की जाती है।

आयोग ने पाया कि बहुत से ऐसे मरीज जिन्हें उपचार के बाद पुनर्वास की आवश्यकता है, वे दक्षिण गोवा के माजोर्डा और उत्तर गोवा के मापुसा में मौजूदा दो पुनर्वास इकाइयों की प्रवेश क्षमता की कमी के कारण अस्पताल में ही रह रहे हैं। इसलिए, आयोग ने संस्तुति की कि निम्नलिखित विभाग गोवा के विभिन्न तालुकों में आवश्यकतानुसार पुनर्वास गृह बनाने की प्रक्रिया का समन्वय और गति प्रदान करें:- (1) निदेशक, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग, पोरवोरिम-गोवा; (2) निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, पणजी-गोवा; (3) निदेशक, सार्वजनिक सहायता संस्थान (प्रोवेडोरिया), पणजी-गोवा।

▶ जीएसएचआरसी के अधिकारी गोवा के बम्बोलिम स्थित मनोरोग एवं मानव व्यवहार संस्थान (आईपीएचबी) का दौरा करते हुए

पीड़ितों की आवाज़

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 12 अक्टूबर, 1993 को अपनी स्थापना के बाद से अपने हस्तक्षेपों के माध्यम से मानव अधिकार उल्लंघन के कई पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी को सहायता पहुंचाई है। इस कॉलम में ऐसे पीड़ितों की आवाज़ का संक्षिप्त अंश प्रस्तुत किया गया है, जो विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित एनएचआरसी की संस्तुतियों के लाभार्थी रहे हैं।

पारिवारिक पेंशन जारी करने में देरी

(केस संख्या 3433/13/23/2022)

पुणे, महाराष्ट्र की शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह जलगांव, महाराष्ट्र के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एक कर्मचारी की विधवा बेटी है, सेवानिवृत्ति के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन संबंधित अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसे पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा रही थी। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, यह पाया गया कि पारिवारिक पेंशन की मंजूरी के लिए शिकायतकर्ता को कुछ दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता थी। मामले में तत्काल प्रभावी कदम उठाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वरनगांव, जलगांव, महाराष्ट्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया। शिकायतकर्ता ने आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है कि मामले में उसके हस्तक्षेप के बाद उसे पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया।

पारिवारिक पेंशन में देरी

(केस संख्या 2009/25/22/2024)

कोलकाता, पश्चिम बंगाल की शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह तलाकशुदा है और उसकी माँ की मृत्यु के बाद, खड़गपुर रेलवे डिवीजन के कल्याण निरीक्षक ने अनावश्यक आपत्तियाँ उठाकर उसके पारिवारिक पेंशन के मामले को गलत तरीके से पेश किया, जिससे अनुचित देरी हुई। सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद, निरीक्षक ने अप्रासंगिक दस्तावेजों का अनुरोध किया और तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता ने मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है जिसके कारण अंततः मामला सुलझ गया।

बिजली का करंट लगने से मौत

(केस संख्या 2470/18/18/2023)

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 23 अक्टूबर, 2023 को ओडिशा के भद्रक जिले में एक 65 वर्षीय गरीब किसान की खेत में काम करते समय बिजली के तारों के टूटने से मौत हो गई। आयोग ने सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में बिजली विभाग (टीपीएनओडीएल) की ओर से लापरवाही की पहचान की और संस्तुति की कि ओडिशा सरकार अपने अधिकारियों की चूक के लिए पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये प्रदान करे। शिकायतकर्ता ने मामले में आयोग के हस्तक्षेप के लिए अपना आभार व्यक्त किया है जिसके परिणामस्वरूप मृतक किसान के परिवार को आर्थिक राहत का भुगतान किया गया।

अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने में देरी

(केस नं. 1167/1/10/2024)

कृष्णा, आंध्र प्रदेश के शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके दिवंगत दामाद, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस चालक का 23 जुलाई, 2020 को सेवा में रहते हुए निधन हो गया, लेकिन उनकी विधवा (शिकायतकर्ता की बेटी) को APSRTC से अनुकंपा के आधार पर नौकरी, पेंशन या ग्रेच्युटी आदि नहीं मिली। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, कृष्णा क्षेत्र की विभागीय चयन समिति ने 18 नवंबर, 2024 को शिकायतकर्ता की पीड़ित बेटी से मुलाकात की और "कंडक्टर ग्रेड II" के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए उसके आवेदन पर विचार किया। प्रमाण पत्र सत्यापन और चिकित्सा जांच पूरी हो गई है और उसे नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। पेंशन का दावा ईपीएस पेंशन के निपटान के लिए आरपीएफओ अधिकारियों को भेजा जाएगा। शिकायतकर्ता ने आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है कि मामले में उसके हस्तक्षेप के बाद न केवल उनकी बेटी बल्कि 29 अन्य लोगों को भी APSRTC में अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली।

पेंशन रोकना

(केस नं. 13231/24/48/2024)

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह 31 अक्टूबर, 2023 को ईपीएफ संगठनात्मक क्षेत्रीय कार्यालय के लेखा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें मासिक पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और पेंशन के कम्यूटेशन सहित कोई सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिला। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, शिकायतकर्ता के सभी बकाया जारी कर दिए गए। उन्होंने मामले में आयोग के हस्तक्षेप के लिए आभार व्यक्त किया है जिसके कारण उन्हें पेंशन लाभ मिला।

सक्षेप में समाचार

i.) 1 जनवरी, 2025 को वैश्विक बिरादरी के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाते हुए, अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमण्यन ने सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने परमहंस योगानंद की नववर्ष की शुभकामनाओं को दोहराया और सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, जो खुशहाल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

ii.) 6 जनवरी, 2025 को एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने डुप्लिकेट और लंबित मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की।

iii.) 18 जनवरी, 2025 को, एनएचआरसी की प्रस्तुति अधिकारी श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने ट्रांसजेंडरों की समस्याओं को समझने और सुधार की संस्तुति करने के लिए जयपुर, राजस्थान में नई भोर संस्था गरिमा गृह आश्रय का दौरा किया।

iv.) 23 जनवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी राजस्थान के सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थीं। राजस्थान के राज्यपाल भी मौजूद थे। उन्होंने भारत में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में एनएचआरसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने एनएचआरसी की स्थापना, कार्यों और व्यापक हस्तक्षेपों के बारे में बात की, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, मानव अधिकारों की संस्कृति को मजबूत करने में योगदान दें। उन्होंने सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदान पर रहने वालों की पीड़ा को कम करने और अधिक समावेशी समाज बनाने के महत्व पर जोर दिया।

v.) 24 जनवरी, 2025 को एनएचआरसी, भारत की प्रेजेंटिंग ऑफिसर, श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने ट्रांसजेंडर राइट्स एसोसिएशन गरिमा गृह, चेन्नई, तमिलनाडु का दौरा किया। उन्होंने अपने सभी लाभार्थियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने और स्वयं सहायता समूहों का एक नेटवर्क बनाने में संगठन की उपलब्धियों के बारे में जाना और उनकी चुनौतियों का उल्लेख किया।

vi.) 24 जनवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो ने रांची झारखंड में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 'बाल तस्करी से आजादी' - बाल दुर्व्यापार की रोकथाम और सामना करने के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए बाल कल्याण संघ, रांची, झारखंड का दौरा किया।

vii.) 24 जनवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह ने बीएनएम इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, बम्बावर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित मानव अधिकार पर अपने स्कूल और एनसीआर कॉलेज ऑफ लॉ के कानून के छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में गौतमबुद्ध नगर का दौरा किया।

viii.) 26 जनवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत ने 76वें गणतंत्र दिवस के जश्न में राष्ट्र के साथ भाग लिया। इस दिन को स्मरणीय बनाते हुए, अपने परिसर-मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में तिरंगा फहराया गया।

ix.) 28 जनवरी, 2025 को एनएचआरसी, भारत की प्रेज़ेंटिंग ऑफिसर, श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने भुवनेश्वर, ओडिशा में ट्रांसजेंडर के लिए बनाए गए सखा गरिमा गृह का दौरा किया और वहां रहने वालों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं और आवश्यक सुधारों को समझा। इस दौरे के साथ ही आयोग ने सभी 12 गरिमा गृहों का निरीक्षण पूरा कर लिया है, ताकि उनसे संबंधित मुद्दों और समस्याओं तथा आगे के उपायों पर एक रिपोर्ट तैयार की जा सके।

x.) 31 जनवरी, 2025 को, श्री दुष्यंत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एनएचआरसी ने केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 'हिरासत में मौत, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, एनएचआरसी, एसएचआरसी, प्रेस, न्यायिक, एनजीओ, आदि की भूमिका' विषय पर 'जेल अधिकारियों के लिए जेंडर संवेदीकरण पर तीन दिवसीय ऑफ़लाइन पाठ्यक्रम के दौरान एसआई से डिप्टी एसपी रैंक तक के पुलिस अधिकारियों के लिए एक व्याख्यान दिया।

आगामी कार्यक्रम

4th फरवरी, 2025	बच्चों पर एक महत्वपूर्ण कोर ग्रुप मीटिंग आयोजित करने जा रहा है, जिसका विषय 'कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के मानव अधिकार' होगा। इस चर्चा का उद्देश्य किशोर न्याय और बाल अधिकार संरक्षण में सार्थक बदलाव लाना है।
7th फरवरी, 2025	आयोग, भारत सरकार के सहयोग से 'डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार का सामना' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।एक दिवसीय इस सम्मेलन में डिजिटल युग की मानव दुर्व्यापार की चुनौतियों और इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए नवीन समाधानों पर प्रकाश डाला जाएगा।
17th फरवरी, 2025	एनएचआरसी दिव्यांगजनों के अधिकारों पर एक कोर ग्रुप बैठक आयोजित करेगा, जिसका विषय होगा 'प्रगतिशील दिव्यांगता को पहचानना - दिव्यांगता अधिकारों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना।' चर्चा में दिव्यांगजनों के लिए समावेशी नीतियों और सशक्तिकरण रणनीतियों पर जोर दिया जाएगा।
18th फरवरी, 2025	एनएचआरसी की हाइब्रिड मोड में ओपन हाउस चर्चा 'डिजिटल युग में निजता और मानव अधिकार सुनिश्चित करना' विषय पर प्रगतिशील है।
19th फरवरी, 2025	आयोग 'आशा कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना - सम्मान के साथ काम करने का अधिकार सुरक्षित करना' विषय पर महिलाओं पर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित करेगा। यह बैठक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के अधिकारों, मान्यता और कार्य स्थितियों को बढ़ाने पर केंद्रित होगी।

जनवरी 2025 में शिकायतें

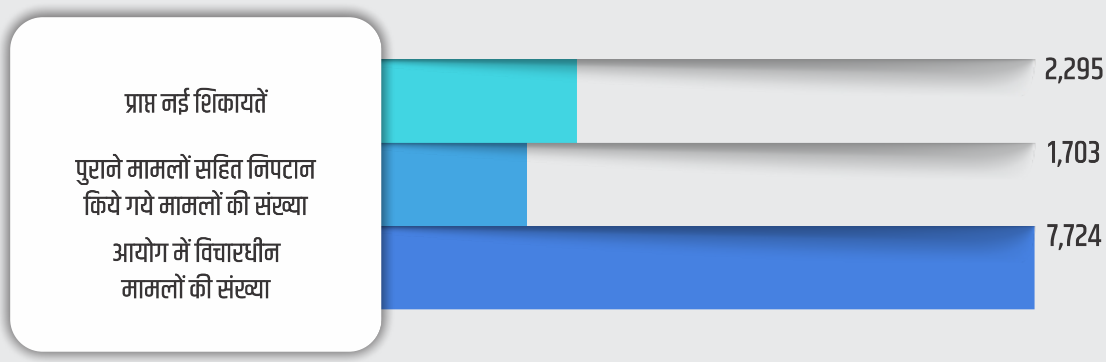

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:
इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)
मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी
विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित। सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल। क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023
हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95